

दिनांक 20/11/2020

श्री ६१२

उभय पक्ष अनुपस्थित।

द्वितीय पक्ष डीएम वणा द्वारा आवेदन दिया गया कि प्रथम मुक्ति पर मंदिर, तलाक, अवस्थित है।
 जिसके प्रथम पक्ष न्यायाधीश के गुमवाह पर अल्पवय
 को हिसाबे हुए वाद के लाया गया है जो अल्पवय
 को न्याय संगत प्रतीत नहीं है कि संबंध के कंपनी
 अधिभार्य चौपारण से जोय प्रतीवदन कि मंडल कि २०२०
 समय पक्ष के विरुद्ध अधिवक्ता के कारण प्रच्छा बहिष्कार
 करने हेतु अज्ञान दिया गया अतः अंगण अधिवक्ता में
 1st party द्वारा कारण प्रच्छा बहिष्कार नहीं किया गया।
 अतः वाद के संबंध के कंपनी अधिवक्ता
 चौपारण के परीच 1458 दिनांक अधिवक्ता से प्रतीवदन प्राप्त
 हुआ प्रतीवदन में प्रतीवदीत है कि बहिष्कार मुक्ति पर
 पूर्व से विरुद्ध मंदिर दिन मंडल, तलाक, विचालय
 द्वारा हुआ है तथा अतः मुक्ति पर दिन मंडल
 पहल दिया है जिसके स्पष्ट होता है कि
 यह वाद १०/१०/२० कि था 145 के अज्ञान परत
 मंडल नहीं है। अतः वाद कि अधिवक्ता विरुद्ध
 प्रथम अधिवक्ता के अज्ञान कि जालि है।

दि 10/12/20